<u>न्यायालयः-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर,</u>
<u>जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज.</u>

पीठासीन अधिकारी	:	**बरसा देवी (आर.जे.एस.)**
सी.आई.एस. नंबर	:	03/2024
मूल सिविल वाद संख्या	:	03/2024
सीएनआर नम्बर	:	RJKB120000032024

1- मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र 57 साल, निवासी ज्ञानपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज.

----वादी

बनाम

1- पूर्ण पुत्र मामराज, उम्र 45 साल, निवासी ज्ञानपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज.

----प्रतिवादी

''दावा बाबत् आज्ञापक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा''

<u>उपस्थित -</u>

1. विद्वान अधिवक्तागण, श्री छाजू सिंह तंवर व श्री मुकेश सिंह शेखावत, वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

!! निर्णय !!

दिनांकः- 19.08.2026

01. वादी ने सारतः यह अभिवचन करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी ग्राम ज्ञानपुरा की आबादी में स्थित अपने-अपने बुजुर्गानी रिहायशी मकानों एवं दुकाननुमा मकान का उपयोग करते हैं। वादी एवं प्रतिवादी के रिहायशी मकानों एवं दुकाननुमा मकान के मध्य बुजुर्गानी समय से एक शामलाती गली स्थित है, जिसे वादपत्र के साथ पेश नजरी नक्शे में बिन्दु 'एबीसीडी' से दर्शाया गया है। वादी के मकान के बरामदे का निकास उक्त गली की ओर है तथा मकान की छत से वर्षाती पानी की निकासी के लिए मोरे एवं रोशनदान मय छापे गली की ओर लगे हुए हैं। पक्षकारान अपने बुजुर्गों के समय से उक्त गली का शामलाती रूप से उपयोग एवं

उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादी पूर्व में अपने रिहायशी मकान एवं बाथरूम के इस्तेमाली पानी की निकासी के लिए विवादित गली में अपने दुकाननुमा मकान के सहारे भूमिगत पाइप डालकर गौरव पथ के पास पानी की निकासी करता था, लेकिन करीब 6-7 माह पूर्व पाइप बंद हो जाने के कारण उसने उक्त पाइप हटा दिया तथा वादी को आश्वासन दिया कि वह अपने दुकाननुमा मकान के सहारे पक्की नाली बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था कर लेगा। पाइप हटाए जाने के बाद से प्रतिवादी का इस्तेमाली गन्दा पानी विवादित गली में वादी की दीवार के सहारे खुले रूप से बहने लगा, जिससे वादी की दीवार में सीलन आने लगी, प्लास्टर खराब होकर झड़ गया, अन्दर तक सीलन आने से बदबू होने लगी तथा गन्दे पानी के कारण मच्छर आदि का प्रकोप बढ़ गया। वादी द्वारा प्रतिवादी से कई बार शामलाती खर्चे से विवादित गली को पक्का करने तथा अपने दुकाननुमा मकान के सहारे पक्की नाली बनाने अथवा पुनः भूमिगत पाइप डालकर पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रतिवादी केवल आश्वासन देता रहा और उसने कोई उचित व्यवस्था नहीं की। दिनांक 02.01.2024 को वादी ने पुनः प्रतिवादी से उसके गंदे इस्तेमाली पानी की निकासी के लिए पक्की नाली बनाने अथवा पाइप डालने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से इन्कार करते हुए वादी को धमकी दी कि गंदा पानी उसकी दीवार के सहारे ही बहता रहेगा तथा वादी द्वारा गली को पक्का करने, गली में आने-जाने अथवा इस संबंध में कानूनी कार्यवाही करने पर उसे जान से मार देगा। वादी ने विवादित गली में प्रतिवादी द्वारा अपनी दुकाननुमा मकान के सहारे अपने रिहायशी मकान व बाथरूम के गंदे पानी की निकासी हेतु पक्की नाली बनाये जाने एवं प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया कि विवादित गली में वादी की दीवार के सहारे पक्की करने, वादी की दीवार पर प्लास्टर करने व उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

02. प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर सारतः यह अभिवचन किया है कि वादी व प्रतिवादी के ग्राम ज्ञानपुरा की आबादी में बुजुर्गानी रिहायशी मकान व दुकाननुमा मकान है। वादी व प्रतिवादी के बीच में कोई गली नहीं है, बल्कि वादी व प्रतिवादी के मकान के बीच में दीवार है, जो शामलाती है। जब विवादित गली ही नहीं है तो विवादित गली को शामलाती रूप में काम में लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने दावा खारिज करने का निवेदन किया।

03. दिनांक 06.01.2026 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

04. उपर्युक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गयेः-

1. क्या वादी एवं प्रतिवादी के ग्राम ज्ञानपुरा, नारायणपुर स्थित रिहायशी मकान एवं दुकाननुमा मकान के मध्य वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में 'एबीसीडी' मार्क व बरंग लाल दर्शित शामलाती गली विद्यमान है?

---वादी

2. क्या वादी उपर्युक्त शामलाती गली के उपयोग-उपभोग में व्यवधान कारित करने से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा एवं गंदे पानी की निकासी हेतु पक्की नाली बनाने की आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है?

---वादी

3. अनुतोष?

05. उपर्युक्त विवाद्यकों के संदर्भ में मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से पी.डब्ल्यू-1 ओमप्रकाश मीणा एवं पी.डब्ल्यू-2 मदनलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत हुये-

दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श
नजरी नक्शा	1
विवादित स्थल की फोटो	2

06. बहस अंतिम एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

07. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के रिहायशी मकानों एवं दुकाननुमा मकान के मध्य बुजुर्गानी समय से एक शामलाती गली स्थित है। पक्षकारान अपने बुजुर्गों के समय से उक्त गली का शामलाती रूप से उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादी पूर्व में अपने रिहायशी मकान एवं बाथरूम के इस्तेमाली पानी की निकासी के लिए विवादित गली में अपने दुकाननुमा मकान के सहारे भूमिगत पाइप डालकर गौरव पथ के पास पानी की निकासी करता था, लेकिन करीब 6-7 माह पूर्व पाइप बंद हो जाने के कारण उसने उक्त पाइप हटा दिया तथा वादी को आश्वासन दिया कि वह अपने दुकाननुमा मकान के सहारे पक्की नाली बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था कर लेगा। पाइप हटाए जाने के बाद से प्रतिवादी का इस्तेमाली गन्दा पानी विवादित गली में वादी की दीवार के सहारे खुले रूप से बहने लगा, जिससे वादी की दीवार में सीलन आने लगी, प्लास्टर खराब होकर झड़ गया, अन्दर तक सीलन आने से बदबू होने लगी तथा गन्दे पानी के कारण मच्छर आदि का प्रकोप बढ़ गया। दिनांक

02.01.2024 को प्रतिवादी ने गंदा पानी उसकी दीवार के सहारे ही बहता रहने की धमकी दी तथा वादी द्वारा गली को पक्का करने, गली में आने-जाने अथवा इस संबंध में कानूनी कार्यवाही करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

08. विवाद्यकों के विनिश्चय हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं विश्लेषण के आधार पर साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु विवाद्यकों का एक साथ विनिश्चय किया जा रहा है।

<u>विवाद्यक संख्या 1.</u> क्या वादी एवं प्रतिवादी के ग्राम ज्ञानपुरा, नारायणपुर स्थित रिहायशी मकान एवं दुकाननुमा मकान के मध्य वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में 'एबीसीडी' मार्क व बरंग लाल दर्शित शामलाती गली विद्यमान है?

---वादी

<u>विवाद्यक संख्या 2.</u> क्या वादी उपर्युक्त शामलाती गली के उपयोग-उपभोग में व्यवधान कारित करने से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा एवं गंदे पानी की निकासी हेतु पक्की नाली बनाने की आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है?

---वादी

09. उपरोक्त विवाद्यकों के परिप्रेक्ष्य में वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करें तो वादी पी.डब्ल्यू-2 मदनलाल ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये मुख्य परीक्षा का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है तथा वादी का मुख्य कथन यह है कि पक्षकारान के मकानों के मध्य स्थित शामलाती गली का दोनों पक्ष बुजुर्गों के समय से उपयोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं किए जाने से पानी वादी की दीवार के सहारे बह रहा है, जिससे दीवार में सीलन, प्लास्टर खराब होने तथा दुर्गंध एवं मच्छरों की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा उक्त कथनों के संबंध में नजरी नक्शा प्रदर्श-1 व विवादित स्थान की फोटो प्रदर्श-2 आदि दस्तावेज पेश किये हैं। वादी की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.डब्ल्यू-1 ओमप्रकाश ने भी वादी एवं प्रतिवादी के मध्य शामलाती गली होना होना कथित किया है तथा दोनों पक्षकारान द्वारा उक्त गली का पूर्व से उपयोग एवं उपभोग किया जाना स्वीकार किया है साथ ही गवाह ने यह भी कथन किया है कि प्रतिवादी के इस्तेमाली गंदे पानी के गली में बहने से गली में गंदगी एवं सीलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे आवागमन में असुविधा तथा आसपास के वातावरण में दुर्गंध एवं मच्छरों का प्रकोप हो रहा है। वादी व उसकी ओर से परीक्षित गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं होने के कारण उनका साक्ष्य पूर्णतः अखंडित रहा है।

10. प्रतिवादी ने जवाब-दावा प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि विवादित स्थल पर

कोई गली अस्तित्व में ही नहीं है, परंतु प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के कारण प्रतिवादी अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके विपरीत, वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहों ने विवादित स्थल को शामलाती गली बताते हुए उसके प्रचलित उपयोग एवं पानी की निकासी संबंधी स्थिति के संबंध में भी समान रूप से कथन किया है। उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायालय के मत में वादी अपने पक्ष में विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

11. यह स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी के मकानों के मध्य शामलाती गली विद्यमान है तथा वादी उक्त गली के उपयोग एवं उपभोग का अधिकारी है। साक्ष्य से यह भी सामने आया है कि प्रतिवादी के मकान से निकलने वाला इस्तेमाली गंदा पानी उक्त गली में बहता है, जिससे गली में गंदगी, सीलन एवं असुविधा उत्पन्न होती है तथा वादी के गली के उपयोग-उपभोग में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः प्रतिवादी को वादी के उक्त शामलाती गली के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने तथा अपना इस्तेमाली गंदा पानी उक्त गली में बहाने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जाना उचित है, परंतु प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से पक्की नाली बनाकर पानी की निकासी करने हेतु आज्ञापक निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वादी की आवश्यक राहत गली में गंदे पानी का प्रवाह रोकने से पूरी हो जाती है। अतः विवाद्यक संख्या 2 का निर्णय वादी के पक्ष में उक्त सीमा तक किया जाना न्यायोचित है।

अनुतोष -

12. चूंकि विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णीत किया गया है, अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा का वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है एवं उसके द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

// आदेश //

13. फलतः वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद बाबत् आज्ञापक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्नांकित आज्ञप्ति पारित की जाती है-

प्रतिवादी स्वयं अथवा अपने माध्यम से वादी के शामलाती गली के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा अपने रिहायशी

मकान एवं बाथरूम से निकलने वाला इस्तेमाली गंदा पानी विवादित शामलाती गली में न बहाये। परंतु, प्रतिवादी को पक्की नाली बनाने हेतु कोई आज्ञापक आदेश पारित नहीं किया जाता है। वादी वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्तानुसार डिक्री निर्मित हो।

(बरसा देवी, आर.जे.एस)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज.

14. निर्णय दिनांक 19.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(बरसा देवी, आर.जे.एस)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राज.